राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर

क्रमांकः– नर्सिंग/नर्स–2/(सीधी भर्ती 2013)/2015/444   दिनांक : 28-10-2015

आदेश

I. निदेशालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांकः नर्सिंग/(सीधी भर्ती–2013)/2013/23 दिनांक 26.02.2013 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियम में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियो से नर्स श्रेणी द्वितीय के पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे। विज्ञप्ति मे उल्लेखित शर्तो के आधार पर ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियो को वर्गवार कॉउन्सिलिंग हेतु आमंत्रित किया गया। कॉउन्सिलिंग में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियो द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न दस्तावेजों की छाया प्रतियों का मिलान उनके मूल दस्तावेजों से किया गया। कॉउन्सिलिंग के दौरान अनुपस्थित रहे सभी अभ्यर्थियो को काउन्सलिंग में उपस्थिति होने हेतु एक अवसर ओर प्रदान किया गया।

II. नर्स ग्रेड द्वितीय की चयन प्रकिया के तहत विभिन्न स्तरों पर की गई कार्यवाही एवं काउन्सलिंग में आमंत्रित किये गये अभ्यर्थियों का संशोधित अन्तरिम (Provisional) विवरण (Data) का मिशन निदेशक एनएचएम की अध्यक्षता में आदेश क्रमांक नर्सिंग/पैरामेडिकल/भर्ती–2013/2015/48 दिनांक 24.03.2015 से गठित समिति द्वारा अनुमोदन कर प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार नर्स श्रेणी द्वितीय की चयन प्रकिया में अब तक निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :–

III. निदेशालय द्वारा पूर्व में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टियों के आधार पर शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के प्राप्तांको के प्रतिशत के औसत को 70 प्रतिशत एवं प्रत्येक पूर्ण वर्ष (365 दिवस) की सेवा पर 10, दो वर्ष की सेवा पर 20 एवं तीन वर्ष अथवा अधिक की सेवा पर अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक देकर काउन्सलिंग हेतु आमंत्रित किया गया था। काउन्सलिंग में प्रस्तुत दस्तावेजो एवं नितीगत निर्णयों एवं भर्ती नियमो के परिपेक्ष्य में दस्तावेजो की विभिन्न स्तरो पर जांच किये जाने पर दृष्टिगत त्रुटियों को सही करने पर अभ्यर्थियों के प्राप्तांको में कमी अथवा वृद्धि हुई है तथा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा याचिका संख्या 9352/2013 में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2013 की पालना में बोनस की अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत कर दिये जाने के कारण शैक्षणिक एवं व्यवसायिक परीक्षा में प्राप्तांको के औसत प्रतिशत को 85 प्रतिशत एवं प्रत्येक पूर्ण वर्ष (365 दिवस) की सेवा पर 5, दो वर्ष की पूर्ण सेवा पर 10 तथा तीन वर्ष व इससे अधिक की सेवा पर अधिकतम 15 बोनस अंक प्रदान किये गये है। पूर्व में काउन्सलिंग हेतु शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के प्राप्तांको के प्रतिशत के औसत तथा बोनस का अनुपात 70 : 30 निर्धारित करते हुये सारणी A के कॉलम संख्या 4 में वर्णित प्रतिशत तक के अभ्यर्थियों को वर्गवार आमंत्रित किया गया था। किन्तु माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा बोनस अंको की अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत कर दिये जाने के कारण शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के प्राप्तांको के प्रतिशत के औसत तथा बोनस का अनुपात 85 : 15 हो जाने के कारण पूर्व में काउन्सलिंग हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों के कट ऑफ का प्रतिशत परिवर्तित होकर सारणी A के कॉलम संख्या 5 में वर्णितानुसार हो गया है।

सारणी–A

क.सं.	वर्ग	पु0/म0	70% के आधार पर प्रतिशत कटऑफ	85% के आधार पर प्रतिशत कटऑफ
1	2	3	4	5
1.	सामान्य	पुरूष	48.265	58.607
		महिला	48.268	58.610
2.	ओबीसी	पुरूष	48.261	58.602
		महिला	48.510	58.965
3.	एसबीसी	पुरूष	45.066	54.723
4.	एसटी	पुरूष	34.163	41.483
5.	एससी	पुरूष	45.577	55.343

नोट :–उपरोक्त सारणी में वर्णित जाति वर्गो के अतिरिक्त शेष वर्गो एवं उपवर्गो के ऑनलाईन आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग हेतु आमंत्रित किया गया था।

IV विभाग द्वारा पूर्व में काउन्सलिंग हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों के प्राप्तांको के औसत प्रतिशत उपरोक्तानुसार संशोधित हो जाने के कारण उक्त सारणी A के कॉलम संख्या 5 में अंकित अन्तिम कट ऑफ तक के अभ्यर्थियों एवं अन्तिम कट ऑफ से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का संशोधित अंतरिम (प्रोविजनल) विवरण (DATA) का प्रकाशन किया जा रहा है। अतः अभ्यर्थी अपने प्राप्तांको की तुलना उक्त सारणी A के कॉलम संख्या 5 में अंकित कट ऑफ प्रतिशत से करें।

V अराजपत्रित कर्मचारियों की भर्ती हेतु सभी प्रकार के मुद्दों के सम्बन्ध मे निर्णय लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन किया गया :–

1.	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा	अध्यक्ष
2.	मिशन निदेशक, एनआरएचएम	सदस्य
3.	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)	सदस्य सचिव
4.	श्री शाहिन अली, उप सचिव	सदस्य
5.	श्री मनोज नाग, कार्य निदेशक, आरएमएससीएल	सदस्य
6.	श्री गुंजन सोनी, रजिस्ट्रार पैरा मेडिकल कौंसिल	सदस्य
7.	श्रीमती नीतू बारूपाल, उपसचिव	सदस्य
8.	उप विधि परामर्शी, मुख्यालय	सदस्य

VI राज्य सरकार के आदेश संख्या निस/पीएचएस/चिस्वा/2015/20 दिनांक 05.02.2015 के द्वारा विभिन्न संवर्गो की भर्ती हेतु राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की अध्यक्षता में पाँच समितियों का गठन किया गया। नर्स श्रेणी द्वितीय के लिए निम्नलिखित अधिकारियों की समिति का गठन किया गया:–

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)।
2. उप निदेशक (प्रशासन)।
3. उप निदेशक (आरसीएच)।

उक्त समिति की सहायतार्थ 11कर्मचारियों को लगाया गया।

VII उक्त समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अन्तरिम वरियता सूची तैयार कर दिनांक 22.03.2015 को जारी कर परिवेदनाएँ एवं दिनांक 03.04.2015 को कॉउन्सिलिंग में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों के डाटा प्रकाशन कर आपत्तियाँ आमंत्रित की गई।

VIII उक्त आपत्तियों/परिवेदनाओं के निस्तारण एवं चयन कार्यवाही करने हेतु प्रमुख शासन सचिव महोदय के आदेश संख्या नर्सिंग/पैरामेडिकल/भर्ती–2013/2015/48 दिनांक 24.03.2015 के द्वारा मिशन निदेशक, एनएचएम की अध्यक्षता में परिवेदना निस्तारण समिति का गठन किया गया जो निम्न प्रकार है :–

मिशन निदेशक, एनआरएचएम	:–	अध्यक्ष
उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग	:–	अध्यक्ष
निदेशक (जन.स्वा)	:–	अध्यक्ष
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)	:–	सदस्य सचिव
रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग काउन्सिल	:–	अध्यक्ष
सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय	:–	अध्यक्ष

IX निदेशालय द्वारा दिनांक 22.03.2015 को जारी प्रोविजनल मेरिट सूची एवं दिनांक 03.04.2015 को काउन्सलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों के विवरण (Data) पर प्राप्त परिवेदनाओं एवं आपत्तियों के परीक्षण के दौरान विदित हुआ कि उक्त प्रोविजनल वरियता सूची एवं अभ्यर्थियों के डेटा में बहुत अधिक त्रुटिया है जिन्हे सही किये जाने हेतु काउन्सलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की जांच कराया जाना आवश्यक होने के कारण सभी आवेदन पत्रों की पुनः जांच का निर्णय लिया गया जिसके लिये 14 अतिरिक्त कार्मिक लगाये गये।

X इन कर्मचारियों द्वारा सर्व प्रथम ऑनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ कॉउन्सिलिंग में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के आधार पर प्रत्येक आवेदन पर निर्धारित प्रपत्र में तैयार की गई चैक लिस्ट भरकर आवेदन पत्रों पर लगाई गई। कार्मिकों द्वारा 16 कॉलम में भरी गई चैक लिस्ट के आधार पर अभ्यर्थियों के डाटा को सही किया गया।

XI तत्पश्चात कॉउन्सिलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों के उक्त कर्मियों द्वारा सही किये गये विवरण का प्रिन्ट लेकर उसमे दर्ज विवरण की 48 कर्मचारियों की टीम द्वारा आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी एवं उसके साथ संलग्न अन्य दस्तावेजों से मिलान किया जाकर प्रमुख शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्णयों, विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तो, सम्बन्धी नियमों के आधार पर प्रथम एवं द्वितीय बार विस्तृत जांच की गई।

XII उक्त कार्मिकों द्वारा जांच किये गये सभी आवेदन पत्रों की 13 अधिकारियों की टीम द्वारा भी जांच की गई।

XIII नर्स श्रेणी द्वितीय की भर्ती में जिन अभ्यर्थियों द्वारा विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों की श्रेणी में आवेदन किया है उनके द्वारा प्रस्तुत निःशक्तता प्रमाण पत्र की जांच के लिये निदेशालय के आदेश संख्या नर्सिंग/भर्ती कमेटी/नर्स–2013/2015/166 दिनांक 12.06.2015 के द्वारा अस्थि रोग विशेषज्ञ की अध्यक्षता में निम्न चिकित्सकों की समिति का गठन किया गयाः–

क्र.सं	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	डॉ0 एस.आर.जिन्दल	कनिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि)
2.	डॉ0 कुसुम सांघी	उप निदेशक मानवाधिकार
3.	डॉ0 मनोज ठागरिया	चिकित्सा अधिकारी, लोकायुक्त

उक्त समिति की अभिशंषा पर ही अभ्यर्थियों को विशेष योग्यजन की श्रेणी में माना गया है।

XIV उक्त भर्ती प्रकिया में सामान्य कार्य श्री श्याम कुमार पारीक, प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री रामबाबू शर्मा, सहायक कार्यालय अधीक्षक द्वारा किया गया।

XV राज्य सरकार के आदेश कमांक प. ( )/चिस्वा/ग्रुप–3/2015/ 405 दिनांक 07.10.2015 के द्वारा नर्स श्रेणी द्वितीय के पद हेतु गठित समिति में श्री मनोज नाग, कार्यकारी निदेशक, आरएमएससीएल एवं श्री गुंजन सोनी, रजिस्ट्रार राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल को भी सदस्य बनाया गया।

XVI नर्स श्रेणी द्वितीय के पद हेतु राजस्थान नर्सिंग कॉसिल में पंजीयन होना अनिवार्य योग्यता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत पंजीयन प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतू निदेशालय के पत्र संख्या नर्सिंग/पैरामेडिकल/सीधी भर्ती 2013/2015/409 दिनांक 07.10.2015 के द्वारा रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग कॉसिल को कॉउन्सिलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों की सूची प्रेषित की गई जिसके सम्बन्ध में रजिस्ट्रार नर्सिंग कौंसिल द्वारा सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन बाबत् जांच की जाकर पत्र कमांक 7339 दिनांक 27.10.2015 से जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसके आधार पर अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्धारण किया गया है।

XVII नर्स ग्रेड़–2 के पदों पर चयन हेतु दिनांक 22.03.2015 को जारी अन्तरिम (Provisional) वरीयता सूची में अभ्यर्थियों की एप्लीकेशन आई.डी ही प्रकाशित की गई थी। अभ्यर्थियों द्वारा उक्त सूची पर परिवेदना/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त सूचना उपलब्ध नही होने बाबत् सूचना दी गई जिस पर विचार कर विभाग द्वारा काउन्सलिंग हेतु उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का विवरण (Data) दिनांक 03.04.2015 को प्रकाशित किया जाकर उस पर परिवेदना/आपत्तिया आमंत्रित की गई है। जिस पर अभ्यर्थियों द्वारा बड़ी संख्या में परिवेदनाऐं एवं आपत्तियां प्रस्तुत की गई उक्त अंतरिम सूची बाबत् माननीय न्यायालय द्वारा भी अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करने हेतु अनेक निर्णय पारित किये गये।

(A) जिसके फलस्वरूप 108 सेवा तथा एनजीओ के मार्फत कार्यरत् अभ्यर्थियों को दिनांक 04.02.2015 से 13.02.2015 तक काउन्सलिंग का अवसर दिया गया।

(B) दिनांक 22.03.2015 को जारी उक्त अन्तरिम सूची नर्स ग्रेड़ द्वितीय के 8641 पदों पर चयन हेतु ही जारी की गई थी जबकि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16.06.2015 को पदों की संख्या बढ़ाकर 11259 कर दी गई है।

(C) उक्त अंतरिम चयन सूची पर बड़ी संख्या में प्राप्त परिवेदनाओं/आपत्तियों तथा माननीय न्यायालयों के निर्णयों के सम्बन्ध में निर्णय करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रमुख शासन सचिवं की अध्यक्षता में दिनांक 21.05.2015 को समिति का गठन किया गया। प्रमुख शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति के सभी निर्णयों का समावेश चयन सूची तैयार करने हेतु अभ्यर्थियों के विवरण (Data) में किये जाने के कारण पूर्व में दिनांक 22.03.2015 को जारी अन्तरिम सूची में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है।

XVIII पूर्व में दिनांक 22.03.2015 को जारी अन्तरिम सूची के पश्चात् माननीय न्यायालयों के निर्णयों की पालना में अतिरिक्त अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग में बुलाया जाकर उनको चयन प्रकिया में सम्मिलित किया गया है एवं राज्य सरकार द्वारा पदों की संख्या में भी वृद्धि कर दी गई है। अतः नर्स ग्रेड़-2 के पदों पर चयन हेतु अन्तिम वरियता सूची जारी करने से पूर्व काउन्सलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का संशोधित अन्तरिम (Provisional) विवरण (Data) प्रकाशित किया जाकर अभ्यर्थियों को परिवेदना/आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है, इसके पश्चात् ही अन्तिम चयन सूची जारी करना उचित रहेगा।

XIX यह संशोधित अंतरिम **(Provisonal)** विवरण (DATA) निम्न मापदण्डों के आधार पर तैयार किया गया है :-

1. **<u>जन्म तिथि</u>:-**

जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में 10वीं अथवा समकक्ष कक्षाओं में उल्लेखित जन्म तिथि को ही आधार माना गया है, किन्तु कई शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा 10वीं कक्षा की अंक तालिका में जन्म तिथि का अंकन नही किया गया है, ऐसी स्थिति में जिन अभ्यर्थियों द्वारा जन्म तिथि के संबंध में कोई सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है उन्हें जन्म तिथि के संबंध में सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत करने की शर्त के आधार पर संशोधित अंतरिम **(Provisonal)** विवरण (DATA) में सम्मिलित किया गया है।

2. **आयुः-**

(A) आयु की गणना दिनांक 01.01.2014 को आधार मानकर की गई जिसमें आरक्षित वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी, एससी (टीएसपी), एसटी (टीएसपी), सहरिया, निःशक्तजन, उत्कृष्ट खिलाडी एवं समस्त वर्गो की महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की गई।

(B) विधवा एवं विवाह विच्छिन्न (तलाकशुदा) वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।

3. **आरक्षणः-**

(A) आरक्षित वर्ग की सभी अभ्यर्थियों (एसटी- 12 प्रतिशत, एससी- 16 प्रतिशत, ओबीसी- 21 प्रतिशत एवं एसबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 1 प्रतिशत) को आरक्षण दिया गया है।

(B) महिला अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों का 50 प्रतिशत आरक्षण अनुज्ञेय है।

(C) एससी (टीएसपी), एसटी (टीएसपी) एवं सहरिया वर्ग की अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण प्रदान किया गया है।

(D) टीएसपी क्षेत्र के निवासी अनारक्षित (सामान्य/ओबीसी) वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना/ज्ञापन के माध्यम से आरक्षण दिए जाने की मांग की गई है। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16.06.2013 के द्वारा टीएसपी क्षेत्र के निवासी सामान्य अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया गया है। किन्तु उक्त परिपत्र निदेशालय द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 26.02.2013 के बाद का होने के कारण इस विज्ञप्ति पर लागू नहीं किया गया है।

(E) नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 19.08.2015 में लिये गये निर्णयानुसार आरक्षण का लाभ उन्ही महिला अभ्यर्थियों को दिया गया है जिनका जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से जारी किया हुआ है। जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से जारी नहीं होने की स्थिति में उन्हें कार्मिक विभाग के परिपत्र के आधार पर सामान्य वर्ग की अभ्यर्थी मानकर विचार किया गया है।

(F) जिन महिला अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्रो में पिता एवं पति दोनो के नाम अंकित है उन्हें सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी मानते हुए विचार किया गया है।

(G) जिन अभ्यर्थियों द्वारा राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है उन्हें सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी मानते हुए विचार किया गया है।

(H) माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय की पालना में धौलपुर एवं भरतपुर क्षेत्र के निवासी जाट समुदाय वर्ग के अभ्यर्थियों को ओबीसी वर्ग का आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।

(I) ओबीसी/एसबीसी वर्ग के अभ्यार्थीयों को नवीनतम जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अध्यधीन ओबीसी/एसबीसी वर्ग में सम्मिलित किया गया है।

(J) जिन महिला अभ्यर्थियों द्वारा विधवा वर्ग में आवेदन किया है, किन्तु उनके द्वारा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा मृतक की पत्नि होने के संबंध में कोई सरकारी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, ऐसी अभ्यर्थियाओं द्वारा मृतक की पत्निं होने संबंधी उक्त सरकारी दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करने की शर्त के आधार पर ही विधवा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के विरूद्ध संशोधित अंतरिम (**Provisonal**) विवरण (DATA) में सम्मिलित किया गया है। साक्ष्य प्रस्तुत नही करने की स्थिति में ऐसी अभ्यर्थियाँओं को विधवा वर्ग के लिए आरक्षित पदो के विरूद्ध विचार नही किया जावेगा।

(K) जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में आरक्षित वर्ग (एससी/एसटी/ ओबीसी/एसबीसी/एससी–टीएसपी/एसटी–टीएसपी/सहरिया) का उल्लेख किया है लेकिन जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है, ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित आरक्षित वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने की शर्त के आधार पर ही संशोधित अंतरिम (**Provisonal**) विवरण (DATA) में सम्मिलित किया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र निर्धारित समय में प्रस्तुत नही किया जावेगा तो उसे आरक्षण का लाभ नही दिया जावेगा, अपितु उसे सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।

(L) नीतिं निर्धारण समिति द्वारा दिनांक 27.05.2015 को लिए गए निर्णय की पालना में ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 02.04.13 के पश्चात् भी जिन अभ्यर्थिओं के उपवर्ग (विधवा, परित्यक्ता अथवा निःशक्तजन) में परिवर्तन होने पर उसे सम्बन्धित उपवर्ग में सम्मिलित करते हुए संशोधित अंतरिम (**Provisonal**) विवरण (DATA) में सम्मिलित किया गया है।

4. शैक्षणिक योग्यता :–

(A) नियमों में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों द्वारा कॉउन्सिलिंग में विभिन्न राज्यों के विभिन्न प्रकार की शैक्षिणिक संस्थाओं अथवा बोर्डस द्वारा जारी अंकतालिकाऐं प्रस्तुत की गई है। जिनकी मान्यता के संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका में उल्लेखितानुसार जाँच की गई है।

(A) शैक्षणिक योग्यता में एक से अधिक विषयो में फेल होने पर अभ्यर्थी द्वारा पुनः सभी विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होता है तो उसके सभी विषयों में प्राप्तांको के आधार पर ही संशोधित अंतरिम (**Provisonal**) विवरण (DATA) में सम्मिलित किया गया है।

5. व्यावसायिक योग्यता :–

(A) प्रमुख शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 27.05.2015 में लिए गए निर्णयानुसार शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता जिन अभ्यार्थियों द्वारा पूरक परीक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण की है उनके पूरक परीक्षा विषय में न्यूनतम अंक ही प्राप्तांक मानते हुए संशोधित अंतरिम (**Provisonal**) सूची में सम्मिलित किया गया है।

(B) यदि कोई अभ्यर्थी Internal अथवा External एवं Theory अथवा Practical में से किसी एक में पूरक होने की स्थिति में संपूर्ण विषय को एक यूनिट मानते हुए न्यूनतम अंको को ही जोडा गया है।

(C) कुछ अभ्यर्थियों द्वारा जीएनएम प्रशिक्षण की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की पृथक–पृथक अंकतालिकाये प्रस्तुत नही की है अपितु इन्टर्नशिप की अंकतालिका में ही तीनों वर्ष की एकीकृत अंकतालिका प्रस्तुत की है जिससे अभ्यर्थी के पूरक होने की स्थिति स्पष्ट नही होती है ऐसी स्थिति में सभी वर्षो की पृथक–पृथक अंकतालिका प्रस्तुत किये जाने की शर्त की पूर्ति करने के अध्यधीन अंकतालिका में वर्णित प्राप्तांको को ही मान्य किया गया है। प्रत्येक वर्ष की पृथक–पृथक अंकतालिकाये प्रस्तुत नही करने पर यह माना जायेगा की अभ्यर्थी किन्ही विषयों में एक से अधिक प्रयास (Attempt) से पास हुआ है। अतः उसको पूरक (Suplimentry) मानकर न्यूनतम उत्तीर्णांक ही वरियता निर्धारण हेतु मान्य किये जायेंगे।

(D) यदि कोई अभ्यर्थी किसी विषय विशेष अथवा सभी विषयो में अनुपस्थित रहा है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा के प्राप्तांको को ही आधार मानकर चयन प्रकिया में सम्मिलित किया जायें।

(E) कुछ अभ्यर्थियों द्वारा जीएनएम प्रशिक्षण अंकतालिओं के साथ इन्टर्नशिप अंक तालिका संलग्न नही की है जिन्हे इन्टर्नशिप की अंक तालिका प्रस्तुत करने की शर्त के आधार पर ही पात्र माना गया है। इन्टर्नशिप की अंक तालिका निर्धारित समय में प्रस्तुत नही करने पर अभ्यर्थी को अपात्र माना जावेगा।

(F) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा नियमों में उल्लेखित व्यवसायिक योग्यता परीक्षा एक से अधिक प्रयास (Attempt) से उत्तीर्ण की है तो उसके न्यूनतम अंक जोड़ते हुये ही संशोधित अंतरिम (**Provisonal**) विवरण (DATA) में सम्मिलित किया गया है।

6. आरएनसी पंजीयन–

(A) राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियमों में नर्स श्रेणी द्वितीय (जीएनएम) का राजस्थान नर्सिंग कॉउन्सिल में पंजीयन होना अनिवार्य योग्यता है जो आवेदन करने की अंतिम तिथि 02.04.2013 को पंजीयन होना आवश्यक है एवं चयन होने की स्थिति में कार्यग्रहण तिथि तक नवीनीकृत होना चाहिए। फलस्वरूप 02.04.2013 तक आरएनसी में पंजीकृत एवं आज दिनांक तक नवीनीकृत अभ्यर्थियों को ही संशोधित अंतरिम (**Provisonal**) विवरण (DATA) में सम्मिलित किया गया है।

(B) जिन अभ्यर्थियों को राजस्थान नर्सिंग कौंसिल द्वारा अन्य राज्यों में पंजीयन के लिये एनओसी जारी कर दी गई है ऐसे प्रकरणों में यह माना गया है कि एनओसी जारी करने की तिथि से अभ्यर्थी राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत नही है।

7. संशोधित अंतरिम (Provisonal) विवरण (DATA) बनाए जाने हेतु अंको का निर्धारण–

(A) सर्वप्रथम सीनियर सैकण्डरी (10+2) एवं जीएनएम परीक्षा उत्तीर्ण की सभी अंकतालिकाओं में प्राप्तांको के प्रतिशत को जोडकर उसमें 2 का भाग देकर औसत निकाला गया है।

(B) व्यावसायिक एवं शैक्षणिक योग्यता का 85 प्रतिशत वेटेज रखा गया है। अतः उपरोक्त औसत का 85 प्रतिशत निकालने के लिए औसत को 85 से गुणा कर 100 का भाग दिया गया है। अनुभव के बोनस हेतु तीन वर्षो के लिये अधिकतम 15 प्रतिशत वेटेज रखा गया है।

8. बोनस अंक–

(A) माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा याचिका संख्या 9352/2013 द्वारा श्री महेन्द्र कुमार बनाम सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2013 की पालना में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवानियम 1965 के नियम 19 के तहत् प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष (365 दिवस) की सेवा पर 5, दो वर्ष की सेवा पर 10 एवं तीन वर्ष अथवा तीन वर्ष से अधिक की सेवा पर अधिकतम 15 बोनस अंक दिए गए है।

(B) माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा याचिका संख्या 3622/2013 द्वारा श्री मनोहर सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 29.04.2013 की पालना में विभाग में एनजीओ/प्लेसमेंन्ट एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मियों को माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन विशेष अनुमति याचिका के निर्णय के अध्यधीन बोनस अंक दिए गए है।

(C) जिन अभ्यर्थियों द्वारा अन्य राज्यों में एनएचएम योजना के तहत संविदा पर कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है उन्हें संबंधित राज्य के परियोजना निदेशक, एनएचएम द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र जो संबंधित राज्य के ही मिशन निदेशक एनएचएम के प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही बोनस अंक दिये जाने के संबध में प्रमुख शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्णय लिया गया है अतः ऐसे अभ्यर्थी जो कि अनुभव के आधार पर संशोधित अंतरिम (**Provisonal**) विवरण (DATA) में स्थान बनाने में सफल रहे है, को अनुभव का लाभ संबंधित राज्य के परियोजना निदेशक एनएचएम द्वारा जारी एवं मिशन निदेशक, एनएचएम द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अथवा मिशन निदेशक द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्यधीन ही संशोधित अंतरिम (**Provisonal**) विवरण (DATA) में सम्मिलित किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र के सम्बन्धित राज्य के मिशन निदेशक एनएचएम के कार्यालय से सत्यापन होने पर ही अनुभव का लाभ देय है।

(D) अन्य राज्यों की राज्य सरकार के अधीन कार्यरत संविदा कर्मियों को बोनस अंक नहीं दिये गये है।

(E) जिन अभ्यर्थियों द्वारा विभाग में संविदा पर कार्य करने का संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है किन्तु संबंधित संयुक्त निदेशक, जोन कार्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं किया गया है, उन्हें संबंधित संयुक्त निदेशक जोन द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन होने की शर्त के अध्यधीन ही बोनस का लाभ देकर संशोधित अंतरिम **(Provisonal)** विवरण (DATA) में सम्मिलित किया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, जोन द्वारा नही किया जाता है तो अभ्यर्थी को बोनस अंक देय नही होंगे।

(F) जिन अभ्यर्थियों द्वारा अन्य राज्यों में एनआरएचएम योजना में संविदा पर कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ऐसे अनुभव प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित राज्य के मिशन निदेशक, एनआरएचएम के सत्यापन के अध्यधीन बोनस अंक दिये गये। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र का सम्बन्धित राज्य के मिशन निदेशक, एनआरएचएम द्वारा सत्यापन नही किया जाता है तो अभ्यर्थी को बोनस अंक देय नही होंगे।

9. विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के संबंध में–

जिन अभ्यर्थियों द्वारा विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदन किया है एवं साथ में निःशक्तता प्रमाण पत्र संलग्न किया है उन निःशक्तता प्रमाण पत्रों की जांच किए जाने हेतु निदेशालय के आदेश संख्या नर्सिंग/भर्ती कमेटी/नर्स–2013/2015/166 दिनांक 12.06.15 के द्वारा अस्थि रोग विशेषज्ञ की अध्यक्षता में तीन चिकित्सकों की समिति का गठन किया जा कर निःशक्तता प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाकर नियमानुसार संशोधित अंतरिम **(Provisonal)** विवरण (DATA) में सम्मिलित किया गया है।

10. जिन अभ्यर्थियों द्वारा एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन किया है एवं किसी एक आई.डी. क्रमांक पर काउन्सलिंग में उपस्थित हुआ है। काउन्सलिंग में उपस्थित हुये आई.डी.क्रमांक को ही सही माना गया है, अन्य आवेदन पत्र निरस्त कर दिये गये है।

11. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में कोई गलत प्रविष्टी कर दी है एवं जिसके सम्बन्ध में परिवेदना/आपत्ति प्रस्तुत की है तो उसे सही पाये जाने पर सही कर दिया गया है।

~~XX~~ निदेशालय द्वारा पूर्व में शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के औसत प्रतिशत के 70 प्रतिशत एवं प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा पर 10, दो वर्ष की सेवा पर 20 एवं तीन वर्ष अथवा अधिक की सेवा पर अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक देकर काउन्सलिंग हेतु बुलाया गया है किन्तु माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा याचिका संख्या 9352/2013 में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2013 की पालना में बोनस की अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत कर दिये ज़ाने के कारण शैक्षणिक एवं व्यवसायिक परीक्षा में प्राप्तांको के औसत प्रतिशत को 85 प्रतिशत एवं प्रत्येक पूर्ण वर्ष (365 दिवस) की सेवा पर 5, दो वर्ष की पूर्ण सेवा पर 10 तथा तीन वर्ष व इससे अधिक की सेवा पर अधिकतम 15 बोनस अंक प्रदान कर अभ्यर्थियों का संशोधित अन्तरिम **(Provisonal)** विवरण (DATA) का प्रकाशन किया जा रहा है।

XXI अभ्यर्थी नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर चयन हेतु वरियता सूची तैयार करने हेतु अभ्यर्थियों के संशोधित अंतरिम **(Provisonal)** विवरण (DATA) की प्रति विभागीय वेबसाईट **www.rajswasthya.nic.in** से प्राप्त कर सकता है। यदि अभ्यर्थी सम्पूर्ण विवरण डाउनलोड नहीं करना चाहे तो अभ्यर्थी स्वयं का एप्लीकेशन आई.डी, नाम तथा जन्म तिथि उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध कॉलम में प्रविष्टी करके स्वयं का विवरण (DATA) देखकर डाउनलोड़ कर सकता है अथवा प्रिंट ले सकता है।

XXII अभ्यर्थी अपनी परिवेदना/आपत्ति विभागीय वेबसाईट **www.rajswasthya.nic.in** पर उपलब्ध वेबलिंक पर दर्ज करा सकते है। इस हेतु अभ्यर्थी अपनी हस्तलिखित अथवा टंकित परिवेदना/आपत्ति मय संबंधित दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित छांयाप्रति स्केन कर **दिनांक 04.11.2015 रात्रि 12.00 बजे तक संबंधित वेबलिंक पर ऑनलाईन अपलोड** कर सकता है। निर्धारित समयावधि पश्चात एवं ऑफलाईन प्राप्त आपत्तियां/परिवेदनाऐं स्वीकार नहीं की जावेगी।

XXIII
1. **अभ्यर्थियों के इस संशोधित अंतरिम (Provisonal) विवरण (DATA) में उसके नाम के समक्ष Remarks के कॉलम में जो टिप्पणी अंकित की गई है, उसकी पूर्ति के उपरान्त ही अंतिम चयन हेतु वरियता सूची में सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में विचार किया जावेगा।**
2. **यदि किसी अभ्यर्थी को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर अथवा नियुक्ति हेतु गठित किसी अन्य संवैधानिक संस्था द्वारा वंचित (Debar) किया गया है तो अभ्यर्थी के वंचित (Debar) अवधि में होने पर चयन हेतु विचार नही किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सूचित करना अभ्यर्थी स्वयं का दायित्व होगा।**
3. **अभ्यर्थियों का उक्त अन्तरिम (Provisonal) विवरण (DATA) माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के निर्णयों के अध्यधीन जारी किया जा रहा है।**

(श्याम लाल गुर्जर)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– नर्सिंग/नर्स–2/(सीधी भर्ती 2013)/2015/444 दिनांक :– 28.10.2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 मुख्यालय ।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश एवं संलग्न सूची को विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करावें।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

28/10/15

(श्याम लाल गुर्जर)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।